न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के. पाटन, जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. ऋचा चायल, आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :— Cri.Reg.Case/423/2021
सी एन आर नंबर :— RJBD080007142021

निर्णय दिनांकः—23.04.2026

आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 321/2020 अन्तर्गत धारा 447, 384, 327, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर सहा. अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**रामदत्त** पुत्र धन्नालाल, निवासी लाडपुर, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हफीज मोहम्मद शेख, अधिवक्ता

अपराध की तिथि	23.09.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	23.09.2020
आरोप पत्र की तिथि	19.04.2021
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	07.03.2022
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	05.09.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	23.04.2026
निर्णय की तिथि	23.04.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	—

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	रामदत्त	23.01.2021	19.02.2021	धारा 447,	दोषमुक्ति	—	28 दिवस

				384, 327, 341, 323 भा.दं. सं.			

अभियोजन साक्ष्य की सूची :—

(क) अभियोजन साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.—1	महावीर	ताईदी एवं नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.—2	कालूलाल	ताईदी एवं नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.—3	डॉ. रियाज मोहम्मद	चिकित्सकीय साक्षी
अ.सा.—4	शोभाराम	ताईदी साक्षी
अ.सा.—5	हजारीलाल	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा.—6	मुकेश	ताईदी साक्षी
अ.सा.—7	महावीर	ताईदी साक्षी
अ.सा.—8	सोनू	ताईदी साक्षी
अ.सा.—9	महेन्द्र सिंह खींची	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा.—10	चौथमल	ताईदी साक्षी
अ.सा.—11	हरिशंकर	अनुसंधानकर्ता
अ.सा.—12	कन्हैयालाल	स्वतंत्र साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी —	—	

(ग) न्यायालय साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालय साक्षी—	—	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

(क) अभियोजन :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.—1	तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 23.09.2020
2.	प्र.पी.—2	तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 20.08.2020
3.	प्र.पी.—3	नक्शा मौका घटनास्थल
4.	प्र.पी.—4	चोट प्रतिवेदन बजरंगलाल

5.	प्र.पी.—5	पुलिस बयान गवाह हजारीलाल
6.	प्र.पी.—6	पुलिस बयान गवाह मुकेश
7.	प्र.पी.—7	पुलिस बयान गवाह महावीर
8.	प्र.पी.—8	पुलिस बयान गवाह सोनू
9.	प्र.पी.—9	पुलिस बयान गवाह चौथमल
10.	प्र.पी.—10	चाक एफआईआर
11.	प्र.पी.—11 व पी—12	जमाबन्दी की प्रति
12.	प्र.पी.—13	रहननामा कृषि भूमि की प्रति
13.	प्र.पी.—14	इकरारनामा की प्रति
14.	प्र.पी.—15	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
15.	प्र.पी.—16	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त
16.	प्र.पी.—17	आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त
17.	प्र.पी.—18	परिवाद
18.	प्र.पी.—18ए	हरिशंकर शर्मा उ.नि. थाना के. पाटन द्वारा थानाधिकारी के. पाटन को परिवादी के परिवाद की जांच रिपोर्ट के संबंध में लिखा गया प्रार्थना पत्र
19.	प्र.पी.—19	चाक एफआईआर, एफआईआर संख्या 324/2020
20.	प्र.पी.—20	पुलिस बयान गवाह कन्हैयालाल

नोटः— प्रदर्श पी—18 प्रार्थना पत्र को प्रदर्श पी—18ए के रूप में पढ़ा जा रहा है।

(ख) प्रतिरक्षा :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	—	—

(ग) न्यायालय प्रदर्श :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	—	—

(घ) आवश्यक वस्तुयें :—

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	—	—

—:: निर्णय ::—

1. प्रकरण के मूलतः तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.2020 को परिवादी बजरंगलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में इस आशय की पेश की गई कि सुबह परिवादी व उसके दोनों पुत्र अपने खेत में हंकाई करने जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में रोककर अभियुक्तगण रामदत्त व रामलाल गाली गलौच करने लगे। परिवादी जब अपने स्वामित्व एवं खाते की कृषि भूमि पर हंकाई करने लगा तो अभियुक्त रामदत्त व उसके भाई रामलाल ने परिवादी व उसके लड़के के साथ मारपीट की, जिससे परिवादी के हाथ—पैर में चोटें आई। उसी समय अभियुक्त रामदत्त के घर की महिलाएं भी हाथों में लकड़ियां लेकर आ गई और उन्होंने भी मारपीट करने का प्रयास किया। अभियुक्त रामदत्त द्वारा परिवादी को धमकाया कि 28,00,000/—रूपए का स्टाम्प लिखवा नहीं तो जान से मार दूंगा। अभियुक्तगण सूदखोर व्यक्ति है जो उधार राशि देकर मनमर्जी से ब्याज जोड़कर अनपढ़ लोगों के खाली स्टाम्प व कागजों पर हस्ताक्षर/अंगूठा लगवा लेते है तथा धमकी देकर जबरन ताकत के बल से मनमर्जी राशि भरकर स्टाम्प लिखवा लेते हैं तथा जबरन सम्पत्ति हड़पने की कोशिश करते रहते हैं। परिवादी को धमकी दी कि अगली बार खेत पर आया तो हाथ पैर काट दूंगा। उस समय मौके पर परिवादी व उसके पुत्र महावीर व कालूलाल मौजूद थे। सभी अभियुक्तगण एक राय होकर कहते रहे कि जब भी अकेला मिलेगा तो तेरे को जान से मार दूंगा। तेरे परिवार को भी नहीं छोडूंगा। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करे, इत्यादि।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र के.पाटन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—321/2020 अंतर्गत धारा 341, 323, 34 भारतीय दंड संहिता 1860 (आगे भा.दं.सं. 1860 से विर्निदिष्ट किया जायेगा) दर्ज की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 327, 384, 447, 420 भा.दं.सं. 1860 का अपराध प्रमाणित पाया जाकर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया। आरोप पत्र में उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 327, 384, 447, 420 भा.दं.सं. 1860 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. आरोप पत्र की सुस्पष्ट प्रति अभियुक्त के अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई गई। गवाहान के बयान तथा उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर दिनांक 07.03.2022 को अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 420 भा.दं.सं. के अपराध से उन्मोचित किया गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 327, 384, 447 भा.दं.सं. 1860 भा.दं.सं., 1860 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर आरोप पृथक् से विरचित कर अभियुक्त को सुनाया समझाया गया, तो

अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य में नियत किया गया।

4. अभियोजन की ओर से कुल 12 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श 1 से 20 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं., 1973 में परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान द्वारा किये गये कथन को गलत होना जाहिर किया है तथा यह भी कथन किया गया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त पक्ष ने साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया, परन्तु साक्ष्य सफाई पेश करने से मना करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिये हैं कि पत्रावली पर संलग्न समस्त साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिए गए कि हस्तगत प्रकरण का परिवादी बजरंग लाल उसकी मृत्यु होने के कारण न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह परीक्षित नहीं हो सका है। परिवादी के दोनों पुत्र महावीर तथा कालूलाल अपने बयानों में अत्यंत विरोधाभासी कथन करते हैं। शेष ताईदी साक्षीगण भी अभियोजन कहानी का समर्थन करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। रहननामा/इकरारनामा के मूल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए हैं और मात्र फोटो कॉपी दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु के संबंध में विवेचन करना है—

> 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.09.2020 को किसी समय स्थान लाड़पुर, पुलिस थाना के.पाटन में परिवादी व उसके पुत्रों को इच्छित दिशा में जाने से निवारित कर उनका सदोष अवरोध कारित किया तथा उनके साथ स्वेच्छा मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की तथा परिवादी के खेत में अपराध करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया तथा परिवादी व उसके पुत्रों के साथ मारपीट कर भय

में डाला तथा 28 लाख रूपए के स्टाम्प पर हस्ताक्षरित कर स्वयं को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित किया तथा परिवादी व उसके दोनों पुत्रों के साथ मारपीट कर हाथ व पैर में चोट कारित इस आशय से की कि 28 लाख रूपए और स्टाम्प पर परिवादी हस्ताक्षर करे?

2. यदि हां, तो अभियुक्त के लिये उचित दण्ड क्या होगा?

8. प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 12 गवाहान् न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाये गये हैं। गवाह पी.डब्ल्यू—1 महावीर, पी.डब्ल्यू—2 कालूलाल हस्तगत प्रकरण के परिवादी बजरंगलाल के पुत्र होकर ताईदी साक्षीगण एवं नक्शे मौके के गवाहान है, गवाह पी.डब्ल्यू—5 हजारीलाल स्वतंत्र साक्षी है, पी. डब्ल्यू—4 शोभाराम ताईदी साक्षी है, पी.डब्ल्यू—9 महेन्द्र सिंह खींची स्वतंत्र साक्षी है, पी.डब्ल्यू—3 डॉ. रियाज मोहम्मद आहत की चोटों का मेडिकल मुआयना करने वाला चिकित्सक है, पी.डब्ल्यू—6 मुकेश, पी.डब्ल्यू—10 चौथमल ताईदी साक्षीगण है, पी.डब्ल्यू—7 महावीर, पी.डब्ल्यू—8 सोनू तथा पी.डब्ल्यू—12 कन्हैयालाल स्वतंत्र साक्षीगण है, पी.डब्ल्यू—11 हरिशंकर हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है।

9. सर्वप्रथम गवाह पी.डब्ल्यू—1 महावीर, जो कि परिवादी का पुत्र होकर ताईदी साक्षी एवं नक्शे मौके का गवाह है। अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वर्ष 2013 की बात है। उसके पिता बजरंग लाल ने अभियुक्त रामदत्त से तीन लाख रूपये बोरिंग लगाने के लिए उधार लिये थे। अभियुक्त रामदत्त ने ब्याज काटकर 2 लाख 4 हजार रूपये उसके पिता को दिये थे। उसके बाद अभियुक्त रामदत्त उसके पिता में गाली गलौच करने लगा व पच्चीस लाख रूपये की मांग करने लगा व उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने लग गया। अभियुक्त रामदत्त ने उसके पिता से स्टांप पर जबरदस्ती घर पर हस्ताक्षर करवा लिये। लिखापढी भी घर पर ही करवाई थी। अभियुक्त रामदत्त ने उसके भाई कालूलाल व उसके भी स्टाम्प पर फर्जी हस्ताक्षर कर अठाईस लाख रूपये की मांग करने लग गया। अभियुक्त रामदत्त उसके पिता जी जहां भी मिलते था वहां गाली गलौच करता था। अभियुक्त कहता था कि यदि तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमीन को हडप लूंगा। जिस स्टांप पर उसके व उसके पिता के फर्जी हस्ताक्षर है वह अभियुक्त रामदत्त के पास है, जिसकी फोटो कॉपी शामिल पत्रावली है। फोटोप्रति को देखकर गवाह ने कहा कि उस पर हस्ताक्षर उसने ही किये होंगे, फिर कहा कि वह महावीर मीणा के नाम से हस्ताक्षर नहीं करता केवल महावीर के नाम से ही करता है, यह हस्ताक्षर उसके नहीं है। उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जो प्रदर्श पी—1 व प्रदर्श पी—2 है, जिन पर ए से बी उसके पिता के हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल

का नक्शा मौका प्रदर्श पी—3 बनाया, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी उसके पिता बजरंग लाल के हस्ताक्षर है।

10. जिरह में गवाह कथन करता है कि वर्ष 2013 की बात है। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि प्रदर्श पी—3 पर उसने वर्ष 2013 में हस्ताक्षर किए थे। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसके सामने दो लाख चार हजार रूपए का लेन देन नहीं हुआ। गवाह इस कथन को सही होना बतात है कि पच्चीस लाख रूपए उससे नहीं मांगे। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि वह नहीं बता सकता कि उसके पिताजी ने उनके राजीबीजी से कोई स्टाम्प अभियुक्त रामदत्त के पक्ष में लिखाया हो तथा उस पर उनके हस्ताक्षर हो तो उसे पता नहीं। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका नहीं बनाया। गवाह इस कथन को भी सही होना बताता है कि पुलिस ने उससे कभी पूछताछ भी नहीं की।

11. गवाह पी.डब्ल्यू—2 कालूलाल, जो कि परिवादी का द्वितीय पुत्र है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वर्ष 2013 की बात है। उसके पिता बजरंग लाल ने अभियुक्त रामदत्त से तीन लाख रूपये बोरिंग लगाने के लिए उधार लिये थे। अभियुक्त रामदत्त ने ब्याज काटकर 2 लाख 4 हजार रूपये उसके पिता को दिये थे। उसके बाद अभियुक्त रामदत्त उसके पिता में गाली गलौच करने लगा व पच्चीस लाख रूपये की मांग करने लगा व उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने लग गया। अभियुक्त रामदत्त ने उसके पिता से स्टांप पर जबरदस्ती घर पर हस्ताक्षर करवा लिये। लिखापढी भी घर पर ही करवाई थी। अभियुक्त रामदत्त ने उसके भाई महावीर व उस पर भी स्टाम्प पर फर्जी हस्ताक्षर कर अठाईस लाख रूपये की मांग करने लग गये। अभियुक्त रामदत्त उसके पिता जी जहां भी मिलते था वहां गाली गलौच करता था। अभियुक्त रामदत्त कहता था कि यदि तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमीन को हडप लूंगा। जिस स्टांप पर उसके व उसके पिता के फर्जी हस्ताक्षर है वह अभियुक्त रामदत्त के पास है, जिसकी फोटो कॉपी शामिल पत्रावली है। फोटोप्रति को देखकर गवाह ने कहा कि उस पर कालूलाल के हस्ताक्षर उसने नहीं किये है। यह हस्ताक्षर उसके नहीं है। उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जो प्रदर्श पी—1 व पी—2 है, जिन पर ए से बी उसके पिता के हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी—3 बनाया जिस पर ई से एफ उसके, सी से डी उसके पिता बजरंग लाल के हस्ताक्षर है।

12. जिरह में गवाह कथन करता है कि वर्ष 2013 की बात है। गाली गलौच व मारपीट वर्ष 2020 की बात है। घटना के समय खेत पर वह, उसका भाई महावीर, उसके पिताजी बजरंगलाल व अभियुक्तगण रामदत्त व रामलाल थे। पुलिस ने उसके थाने पर बयान लिए थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी—3 पर उसने

हस्ताक्षर थाने पर किए थे, जो मेचिंग कराने के लिए किए थे। स्टाम्प की फोटो प्रति देखकर कहा कि जो कालूलाल लिखा है वह उसके हस्ताक्षर है, फिर स्वयं कहा कि स्टाम्प पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उससे कोई पैसा नहीं मांगा। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसके पिताजी को खेत में झगड़ा होने से पहले कभी नहीं धमकाया। उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है।

13. गवाह पी.डब्ल्यू—6 मुकेश तथा पी.डब्ल्यू—7 महावीर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करते है कि उनके सामने कुछ नहीं हुआ। उन्हें घटना की जानकारी नहीं है।

14. उक्त गवाहान को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया जाकर की गई जिरह में गवाहान इस कथन को गलत होना बताते है कि दिनांक 23.09.2020 को जब वे खेत पर थे, तब सुबह बजरंगलाल व उसके लड़के महावीर व कालू अपने खेत को हांक रहे हो, तभी वहां पर अभियुक्त रामदत्त आया हो और उनके आड़े फिर गया हो और खेत नहीं हांकने दिया हो और अभियुक्त रामदत्त ने बजरंगलाल के साथ हाथापाई की हो। गवाहान ने क्रमशः पुलिस बयान प्रदर्श पी—6 व पी—7 को गलत होना बताया।

15. गवाह पी.डब्ल्यू—10 चौथमल अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि उसके सामने कुछ नहीं हुआ। उसे घटना की जानकारी नहीं है।

16. उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया जाकर की गई जिरह में गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि दिनांक 23.09.2020 को वह खेत पर दवाई छिडक रहा था, तब सुबह बजरंगलाल व उसके लडके महावीर व कालू अपना खेत हांक रहे थे, तभी वहां पर रामदत्त आया हो और उसने बजरंगलाल से खेत को हांकने के लिए मना किया हो और उसके साथ मारपीट की हो। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी—9 को गलत होना बताया।

17. गवाह पी.डब्ल्यू—5 हजारीलाल अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि रामदत्त उसका भाई है। वर्ष 2019 में बजरंगलाल ने उसके स्टाम्प पर हस्ताक्षर कराये थे। बजरंगलाल ने बताया था कि उन्होंने रामदत्त से रूपए लिए है। उसके सामने कोई लेन देन नहीं हुआ।

18. उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया जाकर की गई जिरह में गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि वर्ष 2019 में उसके भाई रामदत्त ने उसके हस्ताक्षर स्टाम्प पर कराये हो और उसे बताया हो कि उसने बजरंगलाल को 23,45,800/—रूपए ब्याज पर एक साल

पर दिए हो। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी—5 को गलत होना बताया। उक्त गवाह से अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं की गई है।

19. गवाह पी.डब्ल्यू—4 शोभाराम, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह न्यायालय के.पाटन में पिछले 20—22 साल से वकालत का काम कर रहा हैं। दिनांक 17.09.2019 को रामदत्त पुत्र धन्नालाल, निवासी लाडपुर आया, जिसके पास एक लिखा हुआ स्टांप था। अभियुक्त रामदत्त ने उससे कहा कि तुम मुझे जानते हो स्टांप पर मेरी पहचान लिख दो, जिस पर उसने स्टांप पर लिखा था कि वह अभियुक्त रामदत्त को जानता है। उक्त पहचान की स्टांप की फोटो कॉपी शामिल पत्रावली है।

20. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसने हस्ताक्षर थड़े पर किए थे। नोटेरी वाले के थड़े पर किए नहीं किए थे। वहां पर कौन—कौन उपस्थित था उसे पता नहीं।

21. गवाह पी.डब्ल्यू—9 महेन्द्र सिंह खींची अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह वर्ष 2019 में के.पाटन न्यायालय में नोटेरी का कार्य करता था। दिनांक 17.09.2019 को शोभाराम जी वकिल साहब एक स्टांप को उसके पास नोटेरी कराने के लिए लेकर आए थे, जिसके साथ रामदत्त नाम का व्यक्ति था, जिसको उन्होंने शिनाख्त किया था तथा उसके सामने इकरारनामे की कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। इकरारकर्ता बजरंग लाल व दूसरा इकरारग्रहीता रामदत्त को शोभाराम वकिल साहब ने शिनाख्त किया तथा उसने उक्त स्टांप को असल नोटेरी रजिस्टर के क्रम संख्या 14 दिनांक 17.09.2019 को इन्द्राज कर नोटेरी किया। उसके द्वारा जिस स्टांप को नोटेरी किया गया था उसकी फोटोप्रति शामिल पत्रावली है।

22. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसके पास जो स्टाम्प नोटेरी के लिए आया था उसकी इबारत पहले से लिखी हुई थी। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसके पास जब मूल स्टाम्प आया था उस पर बजरंगलाल व रामदत्त के हस्ताक्षर हो रहे थे। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि मूल स्टाम्प पत्रावली में नहीं है।

23. गवाह पी.डब्ल्यू—8 सोनू अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि उसके सामने कुछ नहीं हुआ। उसे घटना की जानकारी नहीं है।

24. उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया जाकर की गई जिरह में गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि उनके गांव का रामदत्त व उसका भाई रामलाल सुदखोरी का काम करते हो, जो गरीब लोगों को एक लाख रूपए देकर बीस से तीस लाख रूपए तक का

स्टाम्प लिखवा लेते है व रूपए लेने वाले की जमीन ले लेते हो। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि बजरंगलाल ने गांव के लोगों से कई बार कहा हो कि रामदत्त और उसका भाई रामलाल जबरदस्ती जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर करवा रहे हो। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि बजरंगलाल के द्वारा खाली स्टाम्पों पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण दिनांक 23.09.2020 को रामदत्त व उसका भाई रामलाल बजरंगलाल के खेत पर जाकर बजरंगलाल के साथ मारपीट की हो। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी—8 को गलत होना बताया।

25. गवाह पी.डब्ल्यू—12 कन्हैयालाल अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह रामदत्त को जानता है। उसने रामदत्त के कभी किसी स्टाम्प पर हस्ताक्षर नहीं करवाये।

26. उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया जाकर की गई जिरह में गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि वर्ष 2019 में रामदत्त ने उसके स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाये हो और उसे बताया हो कि उसने बजरंगलाल को 23,45,800/—रूपए ब्याज पर एक साल के लिए दिए हो। जिसके एक साल बाद बजरंगलाल ने जमीन का इकरारनामा किया हो, जिस पर हस्ताक्षर करवाये हो। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी—20 को गलत होना बताया। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि इकरारनामा फोटो प्रति प्रदर्श पी—13 व पी—14 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

27. गवाह पी.डब्ल्यू—3 डॉ. रियाज मोहम्मद, जो कि आहत की चोटों का मेडिकल मुआयना करने वाला चिकित्सक है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 23.09.2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के.पाटन में कनिष्ठ विशेषज्ञ सर्जरी के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने थानाधिकारी के.पाटन की तहरीर पर बजरंग लाल के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयाना किया था। चोट संख्या 1 दर्द के साथ सूजन 4 गुणा 4 सेमी कंधे के बाई तरफ पीछे की तरफ। चोट संख्या 2 दर्द के साथ सूजन 4 गुणा 3 सेमी दांये कान के पास। उपरोक्त दोनों चोटें सामान्य प्रकृति की होकर कुंदाले से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—4 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी मजरूब का पहचान चिह्न है।

28. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उपरोक्त दोनों सूजन किसी इंफेक्शन के कारण आना संभव है। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उक्त चोटें गिरने पड़ने से भी आ सकती है।

29. गवाह पी.डब्ल्यू—11 हरिशंकर, जो कि हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 20.08.2020 थाना के.पाटन में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन बजरंग लाल ने थाने पर उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट आईसी थाना ज्ञानेद्र सिंह एएसआई के सामने पेश की, जिसकी जांच ज्ञानेन्द्र सिंह एएसआई ने उसे सुर्पुद की। टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी—2 है जिस पर सी से डी ज्ञानेन्द्र सिंह एएसआई का पृष्ठांकन व ई से एफ ज्ञानेन्द्र सिंह एएसआई के हस्ताक्षर है, जिनके हस्ताक्षर वह उनके साथ कार्य करने से पहचानता है। दौराने जांच उसने बयान बजरंग लाल, कालूलाल व महावीर के लेखबद्व किये। दिनांक 23.09.2020 को बजरंग लाल ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट आईसी थाना एसआई रघुराज सिंह के सामने पेश की, जिस पर रघुराज सिंह एसआई ने प्रकरण संख्या 321/2020 धारा 341, 323, 34 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान उसे सुपुर्द किया। उसने प्रकरण दर्ज होने से पूर्व दिनांक 23.09.2020 को आईसी थाना रघुराज सिंह एसआई को परिवाद की जांच रिपोर्ट दी थी जो प्रदर्श पी—18 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 है जिस पर सी से डी कायमी मुकदमा अंकित है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी—10 है जिस पर ए से बी रघुराज सिंह एसआई के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर वह उनके साथ कार्य करने से पहचानता है। दौराने अनुसंधान उसने बयान फरियादी बजरंग लाल, गवाह महावीर, कालूलाल, सोनू, द्वारकालाल, कन्हैयालाल, हजारीलाल, महेन्द्र सिंह खिंची नोटेरी, शोभाराम अधिवक्ता, मुकेश, चौथमल, महावीर पुत्र ब्रजमोहन के उनके कथनानुसार लेखबद्व किये। जमाबंदी की फोटोप्रति शामिल पत्रावली है जो प्रदर्श पी—11 व पी—12 है, जिस पर से ए से बी उसके हस्ताक्षर है। रहननामा कृषि भूमि व इकरारनामा की फोटाप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली है जो प्रदर्श पी—13 व पी—14 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बजरंग लाल की चोटों का मेडिकल मुआयना करवाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की। दिनांक 23.01.21 को अभियुक्त रामदत्त को जरिये फर्द प्रदर्श पी—15 गिरफ्तार किया, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त रामदत्त के हस्ताक्षर है। दिनांक 24.01.21 को जैर हिरासत अभियुक्त रामदत्त ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी कि जो स्टांप मैंने बजरंग लाल व उसके लडकों से लिखवाया वह मैंने अपने मकान में छुपा कर रख रखा है। सूचना प्रदर्श पी—16 है जिस पर से ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त रामदत्त के हस्ताक्षर है। अभियुक्त रामदत्त का आपराधिक रिकोर्ड शामिल पत्रावली है जो प्रदर्श पी—17 है। परिवादी बजरंग लाल ने अभियुक्त रामदत्त के विरूद्व न्यायालय में एक परिवाद अन्तर्गत धारा 384, 420 आईपीसी में पेश किया था, जो न्यायालय ने थाना के.पाटन को प्रकरण दर्ज करने हेतू भेजा जिस पर रामदत्त के विरूद्व प्रकरण संख्या 324/2020 धारा 384, 420 आईपीसी मे पंजीकृत किया गया। न्यायालय में पेश किया परिवाद प्रदर्श पी—18 है जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी—19 है जो एक ही घटना से सम्बंधित होने के कारण शामिल पत्रावली की गई। अनुसंधान से अभियुक्त

रामदत्त के विरूद्व धारा 420, 341, 323, 327, 384, 427 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की जिनके द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

30. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि परिवाद की जांच रिपोर्ट पत्रावली में शामिल नहीं है। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि प्रदर्श पी—9 व पी—10 एक ही दिन दर्ज हुई है। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि असल दस्तावेज उसने जब्त नहीं किए, क्योंकि उसे प्राप्त नहीं हुए। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि नोटेरी पब्लिक से जो फोटो प्रतियां प्राप्त की उनको उसके द्वारा प्रमाणित किया गया है। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसके द्वारा बजरंगलाल, महावीर व कालू के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी एफएसएल जांच के लिए नहीं भेजे। उसके द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के संबंध में कोई तथ्य सामने नहीं आया।

31. प्रकरण में परिवादी द्वारा दर्ज कराई गई तहरीरी रिपोर्ट दिनांकित 23.09.2020 प्रदर्श पी—1 के क्रम में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 323, 341, 327, 384, 447 भा.दं.सं., 1860 में चालान पेश किया गया था और बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2022 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420 भा.दं.सं., 1860 का अपराध नहीं बनना पाये जाने पर अभियुक्त को धारा 420 भा.दं.सं., 1860 में उन्मोचित कर अन्य धाराओं 384, 447, 327, 341, 323 भा.दं.सं., 1860 में आरोप सुनाये गए थे और न्यायालय को उक्त आरोपित अपराध धाराओं के तहत अभियुक्त के विरूद्ध निर्णय पारित करना है।

32. उल्लेखनीय है कि परिवादी ने अभियुक्त रामदत्त के विरूद्ध तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 23.09.2020 प्रदर्श पी—1 तथा रिपोर्ट दिनांकित 20.08.2020 प्रदर्श पी—2 के जरिये यह दर्शित किया है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को अठाईस लाख रूपये का स्टाम्प लिखाने हेतु जान से मारने की धमकी देकर उक्त दस्तावेज परिवादी से अपने पक्ष में लिखवा दिया। इस आधार पर तहरीरी रिपोर्टें पेश की गई है। जिसके क्रम में स्वयं परिवादी बजरंग लाल उसकी मृत्यु होने के कारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हो सका है, परन्तु परिवादी के पुत्र पी.डब्ल्यू—1 महावीर तथा पी.डब्ल्यू—2 कालूलाल न्यायालय के समक्ष बतौर गवाहान परीक्षित हुए हैं, जिनके द्वारा अपने बयानों से यह दर्शित किया गया है कि परिवादी बजरंग लाल द्वारा अभियुक्त रामदत्त से तीन लाख रूपये उधार लिए थे जो ब्याज काटकर दो लाख चार हजार रूपये अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिए गए, परन्तु बाद में अभियुक्त रामदत्त द्वारा परिवादी से गलत रूप से पच्चीस लाख रूपये की मांग की और जबरदस्ती अठाईस लाख रूपये के स्टाम्प पर परिवादी बजरंग लाल के हस्ताक्षर जबरदस्ती करवा लिए। उक्त

गवाहान यह भी दर्शाते हैं कि उक्त दोनों गवाहान महावीर तथा कालूलाल के उक्त स्टाम्प पर फर्जी हस्ताक्षर भी अभियुक्त रामदत्त द्वारा किए गए थे और अभियुक्त रामदत्त द्वारा परिवादी के साथ गाली गलौच की जाती थी और पैसे नहीं देने पर जमीन को हडप लेने की धमकी भी दी जाती थी।

33. उक्त दोनों गवाहान यह भी दर्शाते हैं कि जिस दस्तावेज पर उक्त गवाहान अभियुक्त रामदत्त द्वारा परिवादी के जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने का कहते हैं, वह मूल दस्तावेज अभियुक्त रामदत्त के पास होना बताते हैं और बयानों के दौरान अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त फोटोप्रति दस्तावेज का मूल दस्तावेज जिस पर कि अभियुक्त द्वारा परिवादी के जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाये गए न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, मात्र फोटो कॉपी पेश की गई है तथा दो दस्तावेज प्रदर्श पी—13 व पी—14 प्रदर्शित करवाये गये है। प्रदर्श पी—13 परिवादी द्वारा अभियुक्त रामदत्त से उधार लिए गए रकम के क्रम में अपनी भूमि अभियुक्त रामदत्त के पक्ष में रहन रखने बाबत् है और प्रदर्श पी—14 अभियोजन कहानी के अनुसार वह दस्तावेज रहा है जिस पर अभियुक्त रामदत्त द्वारा परिवादी बजरंग लाल से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाये गए।

34. उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेज का मूल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है। इस संबंध में परिवादी के पुत्र पी.डब्ल्यू—1 महावीर की जिरह में उक्त गवाह यह कहता है कि उसने अभियुक्त रामदत्त के पास कभी असल स्टाम्प नहीं देखा था और उक्त गवाह समस्त घटना वर्ष 2013 की होना बताते हैं, जबकि अभियोजन कहानी व परिवादी द्वारा पेश तहरीरी रिपोर्ट के अनुसार की घटना 2020 की होना प्रकट आता है। इस कारण से गवाह के बयानों में भारी विरोधाभास रहा है। उक्त गवाह यह भी बता पाने में असमर्थ रहा है कि उसके पिता परिवादी बजरंग लाल द्वारा अपनी सहमति से कोई स्टाम्प रामदत्त के पक्ष में लिखा गया हो अर्थात् गवाह ने इस तथ्य से पूर्णतः इंकार नहीं किया है कि उसके पिता परिवादी बजरंगलाल ने सहमति से अभियुक्त के पक्ष में कोई स्टाम्प लिखा था। प्रदर्श पी—14 हालांकि मूल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं है, परन्तु उक्त दस्तावेज अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण के विवादित दस्तावेज की फोटो प्रति रही है, जिस पर गवाहान पी.डब्ल्यू—1 महावीर तथा पी.डब्ल्यू—2 कालूलाल स्वयं के फर्जी हस्ताक्षर होना दर्शित करते हैं।

35. इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू—2 कालूलाल उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी—14 को देखकर अपनी जिरह में सर्वप्रथम तो उक्त दस्तावेज पर किए गए कालूलाल नाम के हस्ताक्षर स्वयं का होना बताता है और तत्पश्चात् उक्त हस्ताक्षर स्वयं द्वारा किए जाने से इंकार करता है, जो भी अत्यंत विरोधाभासी है। दूसरी ओर उक्त गवाहान जहां स्वयं को मौके के गवाहान होना दर्शित

करते हैं। उस संबंध में घटना के वर्ष के बाबत् गवाह पी.डब्ल्यू—1 महावीर अत्यंत विरोधाभासी कथन करता है।

36. विवादित इकरारनामा का गवाह हजारीलाल बतौर गवाह पी.डब्ल्यू—5 न्यायालय के समक्ष पेश हुआ है, जो अपने बयानों से यह प्रकट करता है कि परिवादी बजरंग लाल ने उससे एक स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाये थे और यह दर्शाया था कि उसने अभियुक्त रामदत्त से रूपये लिए है और उक्त गवाह अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराये जाने पर की गई जिरह में इस कथन को पूर्णतः इंकार करता है कि अभियुक्त द्वारा वर्ष 2019 में उक्त गवाह के स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाये हो और उक्त गवाह पुलिस बयान प्रदर्श पी—5 को भी पुलिस को लिखवाये जाने से इंकार करता है। हालांकि उक्त गवाह अभियुक्त रामदत्त का भाई रहा है और ऐसी स्थिति में उक्त गवाह अभियुक्त रामदत्त के विरूद्ध बयान दे ऐसी संभावना कम ही है, परन्तु तथाकथित विवादित दस्तावेज का द्वितीय गवाह कन्हैयालाल बतौर पी. डब्ल्यू—12 परीक्षित होने पर पूर्णतः पक्षद्रोही हुआ है और उक्त गवाह भी अभियुक्त रामदत्त द्वारा किसी स्टाम्प पर उसके हस्ताक्षर कराये जाने से इंकार करता है और स्वयं अनुसंधान अधिकारी जहां अपने बयानों में यह दर्शित करता है कि अभियुक्त रामदत्त अपने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी—16 को अपने मकान में छुपाकर रखना बताया था और पेश आरोप पत्र में अनुसंधान अधिकारी ने यह भी दर्शित किया है कि अभियुक्त रामदत्त द्वारा मूल स्टाम्प बरामद नहीं करवाया गया है और इस कारण से हस्तगत प्रकरण में विवादित मूल स्टाम्प जिस पर कि, अभियोजन कहानी के अनुसार, अभियुक्त रामदत्त द्वारा परिवादी से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाये गए वह न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो सका है और मात्र फोटो प्रति पर न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई उक्त दस्तावेज को प्रदर्शित करने की अनुमति दी है, तो मूल दस्तावेज जबकि अभियुक्त रामदत्त की कस्टडी में था, उससे बरामदगी नहीं होने के कारण फोटो प्रति दस्तावेज को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और मात्र फोटो प्रति प्रदर्शित कर दिए जाने से उक्त दस्तावेज स्वतः साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हो सकता है और चूंकि अभियोजन कहानी के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा मूल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करवाया गया है और यदि मूल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश होता तो अभियोजन कहानी के समर्थन में गवाहान के बयानों के क्रम में उनके फर्जी हस्ताक्षर किए जाने की जांच करवाया जाना संभव हो सकता, जिसकी जांच मूल दस्तावेज के अभाव में किया जाना संभव नहीं होने से मात्र गवाहान के बयानों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि दस्तावेज पर गवाहान के हस्ताक्षर फर्जी बनाये गए है और स्वयं गवाह पी.डब्ल्यू—2 कालूलाल उक्त दस्तावेज पर पहले तो अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है, बाद में इंकार करता है जिससे भी गवाह विश्वसनीय नहीं रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह पी.डब्ल्यू—1 महावीर भी अपनी मुख्य परीक्षा में ही सर्वप्रथम तो प्रदर्श पी—14 पर स्वयं के हस्ताक्षर

होना स्वीकार करता है, तत्पश्चात् इंकार करता है जिससे भी उक्त गवाह विश्वसनीय नहीं रहे हैं।

37. दूसरी ओर चूंकि स्वयं परिवादी न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह उसकी मृत्यु होने के कारण परीक्षित नहीं हो सका है और इस कारण से उक्त गवाह से कोई जिरह का अवसर अभियुक्त पक्ष को प्राप्त नहीं हो सका है और यदि उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पेश होता तो अवश्य ही अभियुक्त पक्ष को अभियोजन कहानी का खण्डन परिवादी से कराने का अवसर अभियुक्त को प्राप्त होता। जिस कारण से भी पेश गवाहान की साक्ष्य के क्रम में न्यायालय के समक्ष धारा 384 भा.दं.सं., 1860 के अपराध को प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

38. जहां तक घटना की दिनांक 23.09.2020 को अभियुक्त रामदत्त द्वारा परिवादी के खेत पर अपराध करने के आशय से प्रवेश करने, परिवादी व उसके दोनों पुत्रों के साथ मारपीट करने व उन्हें सदोष अवरोध करने के व जबरदस्ती स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाने के तहत अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 447, 327, 323, 341 भा.दं.सं., 1860 का प्रश्न है। इस संबंध में परिवादी के पुत्र पी. डब्ल्यू—1 महावीर तथा पी.डब्ल्यू—2 कालूलाल द्वारा अपने बयानों में यह कही दर्शित नहीं किया है कि अभियुक्त रामदत्त द्वारा घटना की दिनांक को परिवादी बजरंग लाल तथा उसके पुत्र (उक्त दोनों गवाहान) के साथ मारपीट की गई हो, अपितु घटना के चश्मदीद गवाहान पी.डब्ल्यू—6 मुकेश, पी.डब्ल्यू—7 महावीर तथा पी.डब्ल्यू—10 चौथमल के रूप में न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही हुए है अभियोजन अधिकारी की जिरह में भी उक्त गवाहान इस तथ्य की कोई पुष्टि नहीं करते हैं कि दिनांक 23.09.2020 को उनके द्वारा अभियुक्त रामदत्त को परिवादी बजरंग लाल व उसके पुत्रों का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की गई हो, अपितु उक्त समस्त गवाहान क्रमशः अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी—6, पी—7 तथा पी—9 को स्वयं द्वारा पुलिस को लिखवाये जाने से इंकार करते हैं और उक्त चश्मदीद गवाहान के पूर्णतः पक्षद्रोही हो जाने के कारण यह तथ्य न्यायालय के समक्ष पुष्ट नहीं हो सका है कि घटना की दिनांक 23.09.2020 को अभियुक्त रामदत्त द्वारा परिवादी बजरंग लाल के खेत में घुसकर परिवादी व उसके पुत्रों का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की गई हो और अठाईस लाख रूपये के स्टाम्प पर परिवादी के जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने हेतु धमकी दी गई हो।

39. गवाह पी.डब्ल्यू—8 सोनू हालांकि इस तथ्य की पुष्टि हेतु न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह पेश किया गया है कि अभियुक्त रामदत्त गांव वालों को कम रूपये देकर अधिक राशि मय ब्याज प्राप्त करता है और अभियुक्त रामदत्त द्वारा गरीब लोगों से जबरदस्ती जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर कराता है, परन्तु उक्त समस्त तथ्यो की पुष्टि हेतु गवाह पी.डब्ल्यू—8 सोनू परीक्षित होने पर

स्वयं को किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इंकार करता है। उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

40. गवाह पी.डब्ल्यू—4 शोभाराम, पी.डब्ल्यू—9 महेन्द्र सिंह खींची दोनों ही गवाहान विवादित स्टाम्प के क्रम में बतौर साक्षी न्यायालय के समक्ष पेश किए गए है, परन्तु चूंकि हस्तगत प्रकरण में मूल स्टाम्प/इकरारनामा ही न्यायालय के समक्ष पेश होकर प्रदर्शित नहीं हो सका है और मात्र फोटो कॉपी दस्तावेज से अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाहान की साक्ष्य से भी अभियोजन की कहानी को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

41. जहां तक हस्तगत प्रकरण में चिकित्सक पी.डब्ल्यू—3 डॉ. रियाज मोहम्मद द्वारा दी गई साक्ष्य का प्रश्न है, तो स्वयं परिवादी न्यायालय के समक्ष अभियुक्त रामदत्त द्वारा उसके साथ की गई मारपीट की पुष्टि हेतु पेश नहीं हो सका है। मौके के किसी भी गवाह ने अपने बयानों से यह साबित नहीं किया है कि अभियुक्त रामदत्त द्वारा परिवादी बजरंग लाल के साथ मारपीट की गई हो और डॉ. रियाज मोहम्मद पी.डब्ल्यू—3 अपनी जिरह में यह स्वीकार करते हैं कि परिवादी की चोटें गिरने पड़ने से आ सकती है और सूजन इंफेक्शन के कारण आ सकती है, तो न्यायालय के समक्ष किसी भी गवाह की साक्ष्य से यह साबित नहीं हो सका है कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—4 में जो चोटें आई थी वह अभियुक्त के किसी कृत्य के परिणामस्वरूप आई थी। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

42. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश किये गये संपूर्ण साक्ष्य से अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 23.09.2020 को किसी समय स्थान लाड़पुर, पुलिस थाना के.पाटन में परिवादी व उसके पुत्रों को इच्छित दिशा में जाने से निवारित कर उनका सदोष अवरोध कारित किया तथा उनके साथ स्वेच्छा मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की तथा परिवादी के खेत में अपराध करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया तथा परिवादी व उसके पुत्रों के साथ मारपीट कर भय में डाला तथा 28 लाख रूपए के स्टाम्प पर हस्ताक्षरित कर स्वयं को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित किया तथा परिवादी व उसके दोनों पुत्रों के साथ मारपीट कर हाथ व पैर में चोट कारित इस आशय से की कि 28 लाख रूपए और स्टाम्प पर परिवादी हस्ताक्षर करे। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 327, 384, 447 भा.दं.सं., 1860 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

43. परिणामस्वरूप **अभियुक्त रामदत्त** पुत्र धन्नालाल, निवासी लाडपुर, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 327, 384, 447 भा.दं.सं., 1860 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में नियमित पेशी बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

44. अभियुक्त को प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत् धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत नियमित उपस्थिति बाबत् 10,000/— रूपये जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका पेश करने के आदेश दिए जाते है। उक्त जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)

45. निर्णय आज दिनांक **23 अप्रेल, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)